



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-03-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा एटीएम में चोरी का प्रयास करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 लाईसेन्सी रिवाल्वर मय 04 जिन्दा कारतूस .22 बोर व 02 पेंचकश, 01 चाकू, 02 मोबाइल फोन व 01 मो0सा0 स्पेलण्डर प्लस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी/चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 02.03.2026 की रात्रि में गश्त व चैकिंग के दौरान शिवालिक बैंक के पास हिताची एटीएम मशीन को पेंचकश से खोलते हुये मौके से अभियुक्त **1.विनीत कुमार नैन पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह निवासी म0नं0 15 मौ0 बालाजी पुरम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व 2.विकास कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी रामपुरी कालौनी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 लाईसेन्सी रिवाल्वर मय 04 जिन्दा कारतूस .22 बोर व 02 पेंचकश, 01 चाकू, 02 मोबाइल फोन व 01 मो0सा0 स्पेलण्डर प्लस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 125/26 धारा 305(ए) 62, 3(5) 324(4) बीएनएस, धारा 3/30 व 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि राजेश पुत्र नरेश कुमार निवासी नेहरू नगर बालाजी एकेडमी के पास खलासी लाईन थाना सदर बाजार सहारनपुर हिताची एटीएम का एक कान्ट्रैक्टर है राजेश के द्वारा इस एटीएम मशीन में पैसा डाला जाता है। राजेश के द्वारा ही हमें एटीएम मशीन का पासवर्ड बताया गया था। विकास व राजेश नवीनगर में स्थित हिताची एटीएम मशीन में भी पार्टनर है। विनीत कुमार नैन के द्वारा बताया गया कि तनु पुत्री शेर सिंह निवासी वेद बिहार कालौनी नवादा रोड़ थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर ने मुझे विकास कुमार से मिलवाया था। तनु और विकास कुमार एक दूसरे को पहले से जानते थे और बताया था कि एटीएम मशीन में जितने भी पैसे मिलेंगे उसको हम सभी बराबर-बराबर आपस में बाँट लेंगे। हम लोगो ने एटीएम की रेकी कर एटीएम के अन्दर लगा कैमरा एक दिन पहले ही तोड़ दिया था। इसी योजना के तहत आज हम दोनो एटीएम तोड़कर पैसे चुराने आये थे। हम एटीएम मशीन को खोलकर पासवर्ड डाल ही रहे थे कि पुलिस मौके पर आ गयी और हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. विनीत कुमार नैन पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह निवासी म0नं0 15 मौ0 बालाजी पुरम थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. विकास कुमार पुत्र कृष्णपाल निवासी रामपुरी कालौनी खलासी लाईन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. राजेश पुत्र नरेश कुमार निवासी नेहरू नगर बालाजी एकेडमी के पास खलासी लाईन थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. तनु पुत्री शेर सिंह निवासी वेद बिहार कालौनी नवादा रोड़ थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 लाईसेन्सी रिवाल्वर मय 04 जिन्दा कारतूस .22 बोर
- 02 पेंचकश
- 01 चाकू
- 02 मोबाइल फोन
- 01 मो0सा0 स्पेलण्डर प्लस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उप0निरी0 श्री अमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उप0निरी0 श्री विपिन शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. म0उप0 निरी0 चंचल कुमारी थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. हैड का0 753 अमरपाल सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2064 रूचिन थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 243 रोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. म0का0 86 नेहा कौशिक थाना सदर बाजार
6. म0का0 619 पारूल थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक: 03-03-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01/03/2026 को वादिया मुकदमा द्वारा थाना गंगोह पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अर्जुन उर्फ काका पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम डबकौला थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 116/26 धारा 137(2)/61(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहृता की सकुशल बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना गंगोह पुलिस के द्वारा आज दिनांक 03/03/2026 को नाबालिग युवती को बरामद किया गया तथा अभियुक्त अर्जुन उर्फ काका पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम डबकौला थाना गंगोह जिला सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पोस्को अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन उर्फ काका पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम डबकौला थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. है0का0 588 चन्द्रपाल थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. है0का0 568 मन्दीप कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 03-03-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अपहण के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 03.03.2026 को थाना गंगोह पर पंजीकृत अपहण के अभियोग में वांछित अभियुक्त **सारिक पुत्र जमशेद निवासी ग्राम सीकरी थाना गंगोह जिला मुजफ्फरनगर** को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सारिक पुत्र जमशेद निवासी ग्राम सीकरी थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- (1) उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
- (2) हे०का० 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 03.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना नागल पुलिस की कार्यवाही: नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने
वाला आरोपी गिरफ्तार**

अवगत कराना है दिनांक 7.08.2025 को वादी की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त नकुल उर्फ मिर्ची पुत्र रमेश निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जिला बागपत बहलाफुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0स0 215/25 धारा 337(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी, चोरी, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु अभियान चालाया जा रहा है अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नागल श्री राजकुमार चौहान के निर्देशन में थाना नागल पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.03.2026 को हनुमान ब्रिक फिल्ड गगन मार्का ईट भट्टे परिसर ग्राम सिडकी से अभियुक्त **नकुल उर्फ मिर्ची पुत्र रमेश निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जिला बागपत** को गिरफ्तार किया गया। अपहता के पूर्व में बरामद किया जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नकुल उर्फ मिर्ची पुत्र रमेश निवासी ग्राम ककडीपुर थाना रमाला जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मनेन्द्र सिंह थाना नागल सहारनपुर
2. का0 2337 कृष्णगोपाल थाना नागल



दिनांक: 03.03.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 03.03.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र मजनूरशाह निवासी ग्राम अंगरपुर बरखेड़ा थाना बठापुर जिला बिजनौर, हाल निवासी किराये का मकान मौ0 काजीपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर सम्बन्धित थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा वादीया की नाबालिग पुत्री के साथ बार बार दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 124/26 धारा 64(2)एम/65(1) बीएनएस व 5(L)/6 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यावाही करते हुए अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र मजनूरशाह निवासी ग्राम अंगरपुर बरखेड़ा थाना बठापुर जिला बिजनौर, हाल निवासी किराये का मकान मौह्ला काजीपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर को दिनांक 03.03.2026 मौ0कोरीमाजरा से पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

नूर मोहम्मद पुत्र मजनूरशाह निवासी ग्राम अंगरपुर बरखेड़ा थाना बठापुर जिला बिजनौर, हाल निवासी किराये का मकान मौह्ला काजीपुरा थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम-

1. निरीक्षक श्री बीरबल सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 2011अजय कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2427 सूरज खितौलिया थाना सदर बाजार सहारनपुर